



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032025-262129
CG-DL-E-30032025-262129

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]
No. 264

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2025 / चैत्र 7, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2025/ CHAITRA 7, 1947

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2025

सं. 1-सीए (7)/225/2025.—भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद् ने अपनी अधिसूचना सं. 1-सीए (7)(133)/2010, तारीख 09 फरवरी 2010 के माध्यम से 13 जनवरी, 2010 से चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अधीन रत्नाम में मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की शाखा की स्थापना की थी। अब, पूर्वोक्त अधिसूचना को आंशिक रूप से उपांतरित करते हुए, संस्थान की परिषद चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियमन, 1988 के विनियम 159(1) के अधीन आईसीएआई की सीआईआरसी की रत्नाम शाखा की अधिकारिता में जावरा, नामली, खाचरोद और सैलाना को सम्मिलित किए जाने को अधिसूचित करती है।

आईसीएआई की सीआईआरसी की रत्नाम शाखा की अधिकारिता में ऊपर उल्लिखित नगरों को सम्मिलित करने की प्रभावी तारीख 08 जनवरी, 2025 होगी।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा.1121/2024-25]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27 February, 2025

No. 1-CA (7)/225/2025.—Whereas the Council of the Institute of Chartered Accountants of India vide notification no. 1-CA (7)(133)/2010 dated 09th February 2010 w.e.f 13th January 2010 had set up a Branch of Central India Regional Council at Ratlam under Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.

Now in partial modification of the aforesaid notification, the Council of the Institute hereby notify to include Jaora, Namli, Khachrod & Sailana in the Jurisdiction of Ratlam Branch of CIRC of ICAI under Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulation, 1988.

The effective date to include above mentioned cities in the Jurisdiction of Ratlam Branch of CIRC of ICAI shall be January 08th, 2025.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./1121/2024-25]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2025

सं. 1-सीए (7)/226/2025 .—भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद् ने अपनी अधिसूचना सं. 1.सीए (7)/(131)/2010, तारीख 06 फरवरी, 2010 के माध्यम से 13 जनवरी, 2010 से चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अधीन पाली में मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की स्थापना की थी।

अब, पूर्वोक्त अधिसूचना को आंशिक रूप से उपांतरित करते हुए, संस्थान की परिषद् यह अधिसूचित करती है कि सुमेरपुर आईसीएआई की सीआईआरसी की पाली शाखा की अधिकारिता से पृथक् हो जाएगा।

आईसीएआई की सीआईआरसी की पाली शाखा की अधिकारिता से सुमेरपुर (राजस्थान) को पृथक् करने की प्रभावी तारीख 08 जनवरी, 2025 होगी।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./1121/2024-25]

NOTIFICATION

New Delhi, the 27 February, 2025

No. 1-CA (7)/226/2025 .—Whereas the Council of the Institute of Chartered Accountants of India vide notification no. 1.CA.(7)/(131)2010 dated 06th February 2010 w.e.f 13th January 2010 had set up a Branch of Central India Regional Council at Pali under Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.

Now in partial modification of the aforesaid notification, the Council of the Institute hereby notify the detachment of Sumerpur from the Jurisdiction of Pali Branch of CIRC of ICAI.

The effective date of detachment of Sumerpur (Rajasthan) from the Jurisdiction of Pali Branch of CIRC of ICAI will be January 08th, 2025.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA. Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./1121/2024-25]